दूरसंचार विभाग के मुताबिक टेलिकॉम कंपनियों पर उसके 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं, लेकिन वे 'सेल्फ-असेसमेंट' कर पार्ट पेमेंट कर रही हैं। हाल में दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर टेलिकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए 20 साल का समय देने पर विचार करने की अपील की थी। साथ ही बकाये पर पेनल्टी और ब्याज में राहत देने का अनुरोध भी किया था।

संपादकीय

E-mail: jantaserishta@gmail.com

टेलिकॉम सेक्टर : बकाया और मनमानी

सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को उनके सरकारी बकाये में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में कोर्ट ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियों पर बकाया राशि का फिर से आकलन करना कोर्ट की अवमानना होगी।

कंपनियों ने पिछले 18 वर्षों में जिस घोषित नीति के तहत कमाई की है, उसी के तहत उन्हें भुगतान भी करना होगा। अगर सरकार ने उन्हें एजीआर का हिसाब नए सिरे से करने की इजाजत दी तो यह धोखा होगा। एजीआर विवाद में कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला देते हुए टेलिकॉम कंपनियों को ब्याज और पेनल्टी समेत बकाया चुकाने का आदेश दिया था।

टेलीकॉम कंपनियों को ऐसी उम्मीद थी कि वो सरकार पर दबाव बना कर अपना बकाया या तो माफ़ करवा लेंगी या कम करवा लेंगी l इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सरकार भ्रष्ट है।

दूरसंचार विभाग के मुताबिक टेलिकॉम कंपनियों पर उसके 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं, लेकिन वे 'सेल्फ-असेसमेंट' कर पार्ट पेमेंट कर रही हैं। हाल में दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर टेलिकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए 20 साल का समय देने पर विचार करने की अपील की थी। साथ ही बकाये पर पेनल्टी और ब्याज में राहत देने का अनुरोध भी किया था।

कोर्ट ने इस अपील के एक पहलू को साफ ठुकराते हुए कहा है कि कंपनियों को बकाया, ब्याज और पेनल्टी बीते 24 अक्टूबर के फैसले के मुताबिक ही चुकानी होगी। इसके दूसरे पहलू यानी दूरसंचार क्षेत्र के संकटग्रस्त हो जाने की दलील पर दो हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा, जहां कंपनियां भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने की उम्मीद कर सकती हैं।

आज जब दुनिया 5-जी की ओर कदम बढ़ा रही है, तब भारत में दूरसंचार क्षेत्र का बीमार दिखना अच्छा संकेत नहीं है। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अगर समय रहते राजस्व आकलन का मामला सुलझा लिया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन इस उलझाव के समानांतर दूरसंचार कंपनियां भी बुरी तरह आपसी होड़ में उलझी रहीं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बनाए, भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया भर से सस्ती हो गईं, लेकिन गुणवत्ता का स्तर जैसे का तैसा बना रहा।इस दौर उन्हें अपनी बैलेंस शीट का ध्यान ही नहीं रहा, या वे शायद इस भ्रम में थीं कि सरकार पर दबाव डालकर अपनी देनदारी कम करा लेंगी।

महामारी से बड़ा मुकाबला

लेख

-लेखा रतनानी

सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दूरी बरतना एकमात्र वैसा असरदार उपाय है, जो इस वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। पर हम आज भी लोगों को यात्राएं करते हुए देख रहे हैं और सड़कों पर भीड़भरी आवाजाही बदस्तूर जारी है। इसे रुकना ही चाहिए।'इतिहास हमें यह बताता है कि भारत की इस व्यापारिक राजधानी तक दौलत पहुंचानेवाले व्यापारिक जहाज ही यहां पर मौत भी लाये। हालांकि, समृद्ध व्यापारीगण उससे बचे नहीं रहे, पर यह सत्य है कि उसके मुख्य शिकार गरीब ही हुए। 1890 के दशक में रोजगार की खोज में बाहर से इस शहर में आनेवाली आबादी के आधे से भी अधिक लोग झुग्गियों और 'चालों' में रहते थे, जो बहुत संकरी और अस्वच्छ हुआ करती थीं। कमाल की चीज यह है कि जो स्थिति तब थी, वही आज भी मौजूद है और ऐसे में इस बार भी मृत्युदर भयानक हो सकती है। महामारी अधिनियम 1897 में केवल चार धाराएं हैं और इसे भारत के सबसे छोटे अधिनियमों में से एक माना जाता है।

बीते सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय कि वैसे सभी कोरोना पीड़ितों के शरीर पर मुहर लगायी जायेगी, जो अपने घरों में एकांतवास (क्वारेंटाइन) कर रहे हैं और इस घोषणा पर व्यक्त प्रतिक्रियाएं किसी महामारी से लड़ाई की जटिलता उजागर करती हैं। वर्ष 1897 में 'महामारी बीमारियां अधिनियम' को पारित और लागू किये जाने पर समाज के विभिन्न वर्गों को नाराजगी हुई थी। तत्कालीन बॉम्बे राज्य में ब्यूबोनिक प्लेग के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए आज से 123 वर्ष पहले इस अधिनियम के प्रावधान विभिन्न स्तरों की सख्ती के साथ लागू किये गये थे। तब स्वयं बाल गंगाधार तिलक ने इस अधिनियम और ब्रिटिश शासकों के सख्त तौर-तरीकों की आलोचना की थी।

विदित हो कि वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग की बीमारी बड़ी तेजी से फैली और हजारों जिंदगियां लील गयी, जिनमें मुख्यत: झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाली आबादी शामिल थी। यह इन्हीं मौतों का नतीजा था कि वर्ष 1891 की जनगणना के मुताबिक जहां बॉम्बे की आबादी 8 लाख 20 हजार थी, वहीं वर्ष 1901 की जनगणना में वह घट कर 7 लाख 80 हजार ही रह गयी।

बॉम्बे राज्य के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन को एक तार भेज कर इस महामारी की सूचना दी, जिसके प्रत्युत्तर में केंद्र ने इस अधिनियम को पारित कर दिया। उसके बाद से, जब-तब स्वाइन फ्लू, हैजा और डेंगू जैसी विभिन्न महामारियों का प्रकोप बढ़ने पर सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता रहा है। इस वर्ष 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के बाद भारत ने एक बार फिर इस अधिनियम का सहारा लिया है।

पिछले दिनों देशभर के कई शहरों में 31 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम आदि बंद करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से एहतियात बरतने की अपील की गयी है।

इसके अलावा कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाने से मना किया गया है। इस तरह, चेतावनियां जारी करने और शहर को चालू रखे जाने के बीच एक बारीक रेखा होती है, जो किसी भी शासन द्वारा खींची ही जाती है।

महाराष्ट्र में मरीज के बदन पर मुहर लगाने का फैसला किया गया है। यह सामाजिक दूरी बरतने (डिस्टेंसिंग) को सामाजिक बहिष्कार में बदल कर ऐसी छवि पैदा कर देना है कि वायरस जीत रहा है और लोग हार रहे हैं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इसलिए, इसमें कोई हैरत नहीं कि महामारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर इस वायरस को रोकने हेतु कड़े कदम उठानेवाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है।

मशहूर मेडिकल विशेषज्ञ डॉ देवी शेट्टी को यह कहते हुए बताया गया है कि 'केंद्र वैसा हर कार्य कर रहा है, जो वह कर सकता है। लेकिन, लोगों द्वारा गैरजिम्मेदार ढंग से व्यवहार करते हुए देखना दुखद ही है। सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दूरी बरतना एकमात्र वैसा असरदार उपाय है, जो इस वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। पर हम आज भी लोगों को यात्राएं करते हुए देख रहे हैं और सड़कों पर भीड़भरी आवाजाही बदस्तूर जारी है। इसे रुकना ही चाहिए।'

इतिहास हमें यह बताता है कि भारत की इस व्यापारिक राजधानी तक दौलत पहुंचानेवाले व्यापारिक जहाज ही यहां पर मौत भी लाये। हालांकि, समृद्ध व्यापारीगण उससे बचे नहीं रहे, पर यह सत्य है कि उसके मुख्य शिकार गरीब ही हुए। 1890 के दशक में रोजगार की खोज में बाहर से इस शहर में आनेवाली आबादी के आधे से भी अधिक लोग झुग्गियों और 'चालों' में रहते थे, जो बहुत संकरी और अस्वच्छ हुआ करती थीं। कमाल की चीज यह है कि जो स्थिति तब थी, वही आज भी मौजूद है और ऐसे में इस बार भी मृत्युदर भयानक हो सकती है।

महामारी अधिनियम 1897 में केवल चार धाराएं हैं और इसे भारत के सबसे छोटे अधिनियमों में से एक माना जाता है। यह सरकार को इस बात की विशिष्ट शक्ति देता है कि वह महामारियों के दौरान सख्त कदम उठा सके। इसमें धारा 2ए भी शामिल है, जो ऐसी खतरनाक बीमारियों को रोकने हेतु केंद्र सरकार को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करते हुए उसे विभिन्न विनियमनों और कठोर कदम उठाने का अधिकार देता है। धारा तीन में इस कानून के उल्लंघन पर जुर्माने का ब्योरा शामिल है, जबकि धारा चार, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करनेवाले लोगों के कानूनी संरक्षण का विवरण देती है।इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निबटने हेतु जरूरी कार्य-योजना की रूपरेखा बनाने हेतु नये कानूनी ढांचे के पक्ष में अच्छी दलीलें हैं। अभी के परिवर्तित सियासी, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ में इस पुराने अधिनियम की अपनी सीमाएं हैं। एक शोध पत्रिका (इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स) के अनुसार, 'यह अधिनियम महामारी की शुरुआत, बचाव तथा उसके संबोधन की समकालीन वैज्ञानिक समझ के अनुरूप न होते हुए केवल उन वैज्ञानिक और कानूनी मानकों को व्यक्त करता है, जो उसे पारित किये जाने के वक्त मौजूद थे।' फिर भी, अब जब कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इस कानून की शक्ति के इस्तेमाल का लोभ संवरण कर पाना मुश्किल तो है ही।आज के परिवर्तित केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, यह अधिनियम औपनिवेशिक राज्यों की शक्ति को मजबूत करता है, जबकि उसे 'बचाव और प्रत्युत्तर, टीकाकरण, निगरानी और संगठित सार्वजनिक प्रत्युत्तर (रेस्पांस)' पर जोर देना चाहिए था। गूगल इंडिया के बेंगलुरु स्थित एक कर्मी की पत्नी तथा ससुर द्वारा संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों को कथित रूप से भ्रमित करने के आरोप में उन्हें इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरोपित किये जाने से यही साबित होता है।

चिंतन कण

सत्य

सत्य वाणी श्रेष्ठ संस्कार, देवत्व और मानवीय-मूल्य हैं। सत्य सफलता पाने का श्रेष्ठ उपाय है। झूठ बोलना लोगों को गुमराह करना है। यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। बुराई को अच्छाई बताने के लिए झूठ लाया जाता है। सच्चाई छिपाने के लिए झूठ आता है। सत्य परोपकारी है तो झूठ परम स्वार्थी। सत्य मर्यादा-आदर्श की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता, झूठ नैतिकता रहित है। एक झूठ को सत्य बनाने के लिए सौ झूठ तलाशने पड़ते हैं। सत्य से संबंध सशक्त होते हैं, लेकिन झूठ संबंधों को काटने की आरी है। झूठ व्यस्तता का नाटक करके छल-प्रपंच करता है। सत्य समय निकालकर आत्मीयता लुटाता है। झूठ कुसंस्कार और पतन का मार्ग है। एक बार झूठ के जरिये सफलता मिल जाने पर बार-बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। अल्पज्ञता झूठ की पोषक है। सत्य छिपाने वाले संकोची और सरल व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। नाक के ऊपर पानी जाते ही सत्य और असत्य का भेद खुल जाता है। सत्य अतिथि को देवता मानकर दुर्लभ निमंत्रण देता है तो झूठ बहाना बनाकर रुकने का नाम ही नहींलेता। झूठ विश्वासघात कर बैठता है। सत्य किसी की प्रार्थना, विनम्रता, क्षमा याचना और उपकार का मूल्य लगाता है तो झूठ सरलता को विवशता मानने के भ्रम में मनमानी करता है। स्वार्थ में बोला गया झूठ सत्य के आगे खुल जाता है। सत्य में कृतज्ञता बढ़ती है। झूठ कृतघ्नता के कारण पनपता है। सत्य तब तक झूठ का पीछा करता है जब तक यथार्थ चेहरा सामने नहीं आ जाता। महात्मा विदुर ने हमेशा सत्य का पक्ष लिया। झूठ हर प्रकार से सत्य को डिगाने का प्रयास करता है, पर निराश होते ही समर्पण कर बैठता है। सत्य निष्कपट भाव है तो झूठ छल की नींव। सत्य संकल्प से ऊंचाई देता है। झूठ विकल्प पाकर नीचे गिरता जाता है। सत्य मान बढ़ाता है। झूठ बहाने को चरित्र मानकर बाद में प्रायश्चित करता है। झूठ दूसरे के सदाचार को पाप बताता है और अपने अपराध को सदाचार। झूठ लोक निंदा बढ़ाता है तो सत्य घटाता है। सत्य बचाने वाले की अंतिम सांस तक अच्छा रक्षा करने का व्रत लेता है तो असत्य बचाने वाले का अनादर करने से नहीं चूकता। झूठ सदा दूसरे से सुनी बात पर विश्वास करके भ्रम पालता है तो सत्य आग में सोने को तपाने की तरह परखकर विश्वास करता है।

-डॉ. हरि प्रसाद दुबे

प्रो.कोरोना की क्लास में हम

प्रो. कोरोना अपना गेम खेल रहे हैं, लोगों की जान आफत में हैं, दिग्गज क्रिकेटर कह रहे कि पैसे का खेल हर हाल में होना चाहिए। विकास की इंतेहा है लेकिन दूर दूर खड़े होने तो क्या बैठने की भी जगह नहीं है।

प्रो. कोरोना ने सबकी क्लास ले डाली है। कितनों को तो इम्तहान से पहले ही फेल कर दिया। उचित प्रबंध के नाम पर बड़ी बड़ी हांकने वाले हांफ रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे की तर्ज पर चौदह दिन का वनवास देना है लेकिन नियमानुसार कुछ भी करना मुश्किल होता है बिना जान पहचान के इतने बंदों को इतने दिन मुफ्त का खाना पिलाना महंगा सौदा है। कहते हैं न मुसीबत सिखाती है, अब सही तरीके से छींकना, मुंह पर हाथ रख कर खांसना, कम पानी में उच्च स्तरीय हाथ धोना भी सीख जाएंगे। इस बहाने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को भी अप्रत्याशित बल मिलेगा। वैसे भी ज़्यादातर लोग हाथ, दिल से तो मिलाते नहीं थे इसलिए दूर से हाथ जोड़ना सीख जाना ज्यादा बेहतर व सुरक्षित रहेगा। अब तो पांव मिलाकर भी अभिवादन करना सीख रहे हैं। बीमारी में भी गंदी जगह में रहना सीख जाएंगे साथ साथ वाकई भूखे और सचमुच प्यासे रव्हाट्सऐप स्कूल के ज्ञानवान अध्यापक बीस, तीस चालीस सेकिंड तक हाथ अच्छे से धोने के लिए समझा रहे हैं। वो अलग बात है कि पानी भी होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। हमारे देश में करोड़ों लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है। गर्मी आ रही है पानी कम पड़ेगा तो हाइड्रोजन व आक्सीजन गैस मिलाकर बनाना सीख जाएंगे। भविष्य में यह एक व्यवसाय भी बन सकता है। बढ़िया सैनिटाइज़र हो तो पानी बच सकता है लेकिन चार गुना कीमत पर नकली घटिया सैनिटाइज़र ही मिले तो कीर्तन ही बचा सकता है। बाज़ार में मास्क नहीं मिल रहे, बहुत महंगे मिल रहे, जो बीमार नहीं वे लगाए घूम रहे हैं, फैशन पसंद रोज़ अलग रंग का लगा रहे स्कूल बंद है, कई जगह बच्चों को छुट्टी कर दी है अध्यापकों को स्कूल जाकर आपस में पढ़ाना है। प्रो. कोरोना अपना गेम खेल रहे हैं, लोगों की जान आफत में हैं, दिग्गज क्रिकेटर कह रहे कि पैसे का खेल हर हाल में होना चाहिए। विकास की इंतेहा है लेकिन दूर दूर खड़े होने तो क्या बैठने की भी जगह नहीं है। सैंकड़ों लोगों को कई कई घंटे हवाई अड्डे पर कुछ न खिलाकर, पानी नहीं, वाशरूम न बताकर आइसोलेट कर उनकी सहनशक्ति बढ़ाई जा रही है। उन्हें विश्व स्तरीय महामारी के दौरान विरोध करना सिखाया जा रहा है। यह हमारा अदभुत सरकारी नियंत्रण है। उचित व्यवस्था उपलब्ध है यह प्रेस रिलीज़ देने में और उचित व्यवस्था सचमुच होने में फर्क रह जाता है। दिशा निर्देश हमेशा व्यापक दिशाओं में चले जाते हैं। हर स्थिति को निबटने के लिए प्रभावी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

वैसे भी ज़्यादातर लोग हाथ, दिल से तो मिलाते नहीं थे इसलिए दूर से हाथ जोड़ना सीख जाना ज्यादा बेहतर व सुरक्षित रहेगा। अब तो पांव मिलाकर भी अभिवादन करना सीख रहे हैं। बीमारी में भी गंदी जगह में रहना सीख जाएंगे साथ साथ वाकई भूखे और सचमुच प्यासे रव्हाट्सऐप स्कूल के ज्ञानवान अध्यापक बीस, तीस चालीस सेकिंड तक हाथ अच्छे से धोने के लिए समझा रहे हैं। वो अलग बात है कि पानी भी होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए।

कटाक्ष

-सेतोष उत्सुक

इनकी जुबां

शीवराज सिंह चोहान
मुख्यमंत्री

कर्फ्यू जैसा कदम भोपाल एवं जबलपुर में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए उठाया गया है।

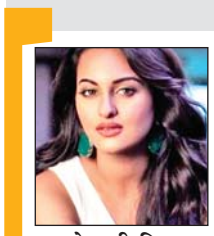

-सोनाक्षी सिन्हा
अभिनेत्री

गलती से भी बाहर मत दिखना। घर पर ही रहिए,सुरक्षित रहिए।

खुद को, परिवार को और देश को बचाने सिर्फ और सिर्फ 21 दिन घर में रहें।

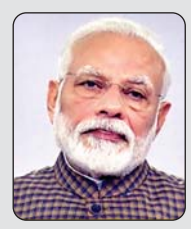

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

जन-मंच

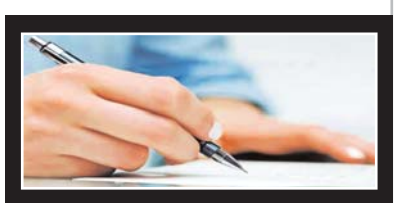

अफवाहों पर लगे लगाम

कोरोना वायरस के चलते सोशल मीडिया पर यह अफवाह तैर रही है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। इससे कई लोगों में खौफ पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, इस महामारी से जुड़ी कई अन्य अफवाहें भी लगातार देखी जा सकती हैं, जबकि प्रशासन ने चेताया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है, अफवाह उड़ाने वाले अपना हित साधना चाहते हैं। जनता को ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार की मदद करनी चाहिए। अफवाहों पर ध्यान देकर लोग न सिर्फ अपना तनाव बढ़ाएंगे, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग को भी कमजोर करेंगे।

-यूभी चौधरी, राजनांदगांव

वंचितों का संकट

कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को थामने के लिए जो नाकेबंदी की गई है, उसमें सबसे बड़ा संकट गरीबों पर आ गया है। आवागमन बंद है, दुकानें बंद हैं, इसीलिए रोज कमाने-खाने वालों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। सरकार ने इन्हें मदद देने की बात कही है, लेकिन सरकारी घोषणा को सच में बदलने में वक्त लगता है। ऐसे में, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे इनके लिए व्यवस्था कराएं।

विजय चौधरी, रायपुर

गिरता शेयर बाजार

कोरोना जैसी अंतरराष्ट्रीय विपदा के सम्मुख शेयर बाजार और अन्य मुनाफा चिंतक व्यापारिक चर्चाओं का औचित्य समझ से परे है। देश कोरोना जैसी गंभीर समस्या से जूझते हुए मानवमात्र को बचाने में जुटा है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक संकट का रोना रोने में पीछे नहीं हैं। यही नहीं, कुछ व्यापारिक मस्तिष्क मानवता को दरकिनार करते हुए इस आपदा को कमाई का सुअवसर मानकर मुनाफाखोरी करके अमानवीय काम कर रहे हैं। इस महामारी से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास अपेक्षित है। यदि अनेक समस्याएं जनमानस के सम्मुख हों, तो प्राथमिकता उसे दी जाती है, जो जीवन-मरण से जुड़ी समस्या हो। वक्त की मांग यही है कि अन्य सभी समस्याओं से ध्यान हटाकर केवल कोरोना नियंत्रण में पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।

-सुधाकर आशावादी, बिलासपुर

जानलेवा होते रासायनिक उर्वरक

रासायनिक खादों के बढ़ते खतरे शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने लिखा है कि उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी के उपयोगी तत्वों को खत्म करने के साथ ही सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कोई दो राय नहीं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अवैज्ञानिक उपयोग से पर्यावरण को तो भारी नुकसान पहुंचा ही है, इससे जीवों में बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज इनसे मनुष्यों में कैंसर होने की आशंका करीब छह गुना बढ़ गई है। भले ही किसान पैदावार बढ़ाने के लिए इनका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज उर्वरकों के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में काफी गिरावट आने के साथ ही फसलों का उत्पादन भी कम हो रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वरकों में भारी धातुएं होती हैं जिनमें सिल्वर, निकिल, सेलेनियम, थैलियम, वेनेडियम, पारा, सीमा, कैडमियम और यूरेनियम शामित हैं जो सीधे मानव स्वास्थ्य के खतरों से जुड़ी हैं। इनसे लीवर, किडनी और फेफड़े में कई प्रकार की बीमारियों हो सकती हैं।

-अनुराधा राय, राजनांदगांव

सावधानी ही बचाव

आज कोरोना वायरस पूरे विश्व पर हावी है, यह चीन, इटली और स्पेन में भारी तबाही मचा चुका है। इस वायरस का असर अब हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। यह इसलिए किया गया कि निर्देशों के बावजूद कई लोग तफरीह करने सड़कों पर निकलने लगे थे। यह समझना होगा कि हम सभी सतर्क रहकर और आवश्यक सावधानियां बरतकर ही इस महामारी से बच सकते हैं। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हालात को समझें और सरकार व स्वास्थ्य कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

- प्रीतम राज, भिलाई

सेहत बनाम आंदोलन

आखिरकार शाहीन बाग को खाली करा लिया गया। ऐसे वक्त में, जब देश में कोविड-19 के तीसरे स्टेज में पहुंचने का खतरा बढ़ गया हो, इस आंदोलन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। मगर इस आंदोलन के कई अन्य पक्ष भी हैं। पहला यह कि पूरी सावधानी बरतते हुए यह आंदोलन चल रहा था। महिलाएं एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर बैठी हुई थीं। इसलिए ऊपरी तौर पर इस आंदोलन से सेहत को कोई बड़ा खतरा नहीं था। और दूसरा, अगर आंदोलन खत्म कराना ही था, तो सरकार का कोई नुमाइंदा इसे खत्म कराने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात करता। इससे आंदोलनकारियों को भी लगता कि उनकी बातों पर सरकार गंभीर है। मगर ऐसा नहीं किया गया, जो इसका स्याह पक्ष है।

- समिधा, अंबिकापुर